

**डिक्री ब मुकदमें इब्तदाई**  
(ऑर्डर 20, रूल 6-7 जाबता दीवानी)  
(Civil Procedure Code, Appellix 'D'-1)

अज अदालत      सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रेक), चौहटन      मुकाम      चौहटन  
व इजलास      **कुसुमलता चौहान, आर.ए.एसज**

अनवान :-

वादी -                      1.करना पुत्र मांगा, जाति मेगवाल  
निवासी धीरासर, तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर

बनाम



प्रतिवादीगण -            1.दीपा 2.माला पि.काना, जातियान मेगवाल, निवासी धीरासर  
तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर  
3.तहसीलदार चौहटन 4.मददूवी पत्नि भारूराम, जाति मेघवाल  
निवासी धीरासर, तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर

**वाद अन्तर्गत धारा 88,53,188 RT Act.**


**मुकदमा नं. 15/2018**

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रु.ब.रु. न्यायालय बहाजरी श्री पवन धारीवाल चौधरी एड. मिनजानिब मुदाई व श्री मुकनसिंह राठौड़, श्री नरपतसिंह राठौड़ एड . मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर, हुकम दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादी का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा धीरासर, पटवार क्षेत्र पोकरासर, तहसील चौहटन के खेत खसरा सं. 211 रकबा 00.03 बीघा एवं खसरा सं. 212 रकबा 66.08 बीघा, कुल रकबा 66.11 बीघा का आया हुआ है। उक्त विवादित खसरों की भूमि सारणी में वर्णित हिस्सानुसार पक्षकारों के मध्य निम्नानुसार विभाजन कर पृथक पृथक खाते कायम किये जाते हैं। लगातार शेष पृष्ठ पर..... बीज ..... मबलिंग ..... बाबत ..... पर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शरह ..... फीसदी सालाना आज ही तारीख से तारीख व सूलप्रार्थी तक ..... को अदा करे।

वसन्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 22/01/25 को जारी की गई।

 मुदाई स्टांम्प अधीनस्थ स्टांम्प वकालतनामा स्टांम्प सबूत पदनामा वकील खर्चा गवाहान फीस कमीशनर बाबत इजराय हुकमनामा मुतफरिक मीजान	रुपया	₹	मुदायलाह स्टांम्प वकालतनामा स्टांम्प पर्चा महनताना वकील पर खर्चा गवाहान फीस कमीशनर बाबत इजराय हुकमनामा मुतफरिक मीजान	₹	 ओहबा लरया मीजान

नोट :- इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा दर दो फरीकेन का चाहे बिकरी के जरिये दिलावे ..... करना।

  
**सहायक कलक्टर**  
 चौहटन

क्र. सं.	खातेदार का नाम मय वल्लिद्यत सकुनत	ग्राम	खसरा नं.	रकबा (हेक्टर)	किस्म	लगान	बरंग
1	करनाराम पुत्र मांगाराम, जाति मेघवाल, सा.देह खातेदार	धीरासर	212	05.1678	बा.सो.	—	आसमानी
2	दीपाराम पुत्र कानाराम 1/2, मालाराम पुत्र कानाराम 1/2, जाति मेघवाल, सा.देह खातेदार	धीरासर	211	00.243	गैमुढाणी	—	हरा
3	दीपाराम पुत्र कानाराम 1/2, मालाराम पुत्र कानाराम 1/3, मदूदेवी पत्नि भारूराम 1/6 जाति मेघवाल, सा.देह खातेदार	धीरासर	212	05.1435	बा.सो.	—	लाल
4	करनाराम पुत्र मांगाराम 1/2, दीपाराम पुत्र कानाराम 1/4, मालाराम पुत्र कानाराम 1/6, मदूदेवी पत्नि भारूराम 1/12 जाति मेघवाल, सा.देह खातेदार (रास्ता हेतु)	धीरासर	212	00.4371	बा.सो.	—	काला

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार चौहटन को लिखा जावे। फर्द मौका व नक्शा डिक्री का भाग रहेंगे। पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकरान अपना अपना वहन करेंगे।



(कुसुमलता चौहान)  
 सहायक कलक्टर  
 (फास्ट-ट्रेक) चौहटन  
 सहायक कलक्टर  
 (फास्ट-ट्रेक) चौहटन

**न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रेक) चौहटन जिला बाड़मेर**

राजस्व वाद सं. 15/2018

पीठासीन अधिकारी – कुसुमलता चौहान, आर.ए.एस

अनवान

वादी – 1.करना पुत्र मांगा, जाति मेगवाल  
निवासी धीरासर, तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर

बनाम

प्रतिवादीगण – 1.दीपा 2.माला पि.काना, जातियान मेगवाल, निवासी धीरासर  
तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर  
3.तहसीलदार चौहटन 4.मदूदेवी पत्नि भारूराम, जाति मेघवाल  
निवासी धीरासर, तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर

अधिवक्तागण – वादी वकील – श्री पवन धारीवाल  
प्रतिवादीगण वकील – श्री मुकनसिंह राठौड़ (प्रतिवादी सं. 1 व 2)  
श्री नरपतसिंह राठौड़ (प्रतिवादी सं. 4)



निर्णय

वाद अन्तर्गत धारा 88.53,188 RT Act.


दिनांक :- 22/01/25

उपरोक्त वाद में न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार चौहटन से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ, जो शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित हुए। तहसीलदार चौहटन से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

उपस्थित अधिवक्ताओं ने बहस में कथन किया कि तहसीलदार द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव उन्हें स्वीकार है। विभाजन प्रस्ताव अनुसार निर्णय करते हुए डिक्री जारी की जावे।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया जिससे स्पष्ट होता है कि तहसीलदार चौहटन से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव स्वीकार योग्य है।

अतः न्यायाहित में तहसीलदार चौहटन द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव अनुसार मौजा धीरासर, पटवार क्षेत्र पोकरासर, तहसील चौहटन के खेत खसरा सं. 211 रकबा 00.03 बीघा एवं खसरा सं. 212 रकबा 66.08 बीघा, कुल रकबा

  
सहायक कलक्टर  
(फास्ट-ट्रेक) चौहटन

66.11 बीघा के आये हुए है। उक्त विवादित भूमि सारणी में वर्णित हिस्सानुसार पक्षकारों के मध्य निम्नानुसार विभाजन कर पृथक पृथक खाते कायम किये जाते हैं।

क्र. सं.	खातेदार का नाम मय वल्लिदयत सकुनत	ग्राम	खसरा नं.	रकबा (हैक्टर)	किस्म	लगान	बरंग
1	करनाराम पुत्र मांगाराम, जाति मेघवाल, सा.देह खातेदार	धीरासर	212	05.1678	बा.सो.	—	आसमानी
2	दीपाराम पुत्र कानाराम 1/2, मालाराम पुत्र कानाराम 1/2, जाति मेघवाल, सा.देह खातेदार	धीरासर	211	00.243	गैमुढाणी	—	हरा
3	दीपाराम पुत्र कानाराम 1/2, मालाराम पुत्र कानाराम 1/3, मदूदेवी पत्नि भारूराम 1/6 जाति मेघवाल, सा.देह खातेदार	धीरासर	212	05.1435	बा.सो.	—	लाल
4	करनाराम पुत्र मांगाराम 1/2, दीपाराम पुत्र कानाराम 1/4, मालाराम पुत्र कानाराम 1/6, मदूदेवी पत्नि भारूराम 1/12 जाति मेघवाल, सा.देह खातेदार (रास्ता हेतु)	धीरासर	212	00.4371	बा.सो.	—	काला

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार चौहटन को लिखा जावे। मौका रिपोर्ट (विभाजन प्रस्ताव) मय नक्शा निर्णय का अनिवार्य भाग रहेंगे। पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकरान अपना अपना वहन करेंगे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 22/01/25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(कुसुमलता चौहान)  
सहायक कलक्टर  
(फास्ट-ट्रेक) चौहटन  
सहायक कलक्टर  
(फास्ट-ट्रेक) चौहटन